बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आदेश संख्याः– 2/अ0प्र0–1–99/2022 2044 /पटना, दिनांक :– 25.9.23

औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न पथों के Ongoing/Maintenance कार्यों की राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 643 दिनांक 12.12.2022 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में कई त्रुटियॉ/अनियमितता प्रतिवेदित की गई। उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक मे कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत पैकेज सं0 BR02R832-Construction of Bridge over Ramrekha River पुल के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता के लिए श्री दिनेश प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत अधिसूचना सं0 115–सहपठित ज्ञापांक–116 दिनांक 11.01.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया।

2. उपर्युक्त आरोपों पर श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अधिसूचना सं0 211 सह–पठित ज्ञापांक 212 दिनांक 18.01.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में अधिसूचना सं0 1212–सहपठित ज्ञापांक 1213 दिनांक 17.05.2023 द्वारा श्री सिंह को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया एवं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त कर दिया गया।

4. श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता के पत्रांक शून्य दिनांक 06.07.2023 द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन हेतु आवेदन विभाग को प्राप्त हुआ। तद्‌लोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह दिनांक 11.01.2023 से दिनांक 17.05.2023 तक निलंबित रहे एवं जिन आरोपों पर श्री सिंह को निलंबित किया गया था, उक्त आरोपों पर श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है।

5. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11(3) एवं (4) के तहत श्री दिनेश प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल भभुआ के निलंबन अवधि को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता हैः–

(i) निलंबन अवधि दिनांक 11.01.2023 से 17.05.2023 तक अनुमान्य पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान देय होगा, परन्तु ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गए जीवन–निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।

(ii) आलोच्य निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

20/9/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@n

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–99/22 2044 /पटना, दिनांकः– 25-9-23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–1–99/22 2044 /पटना/दिनांकः– 25-9-23

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/सासाराम/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/भभुआ/प्रशाखा पदाधिकारी–5/प्रशाखा पदाधिकारी–12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/2023

विशेष सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@n